

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक: /2018

संख्या-3/टि0-01-02/2017-

/स्वा0, राज्य स्वास्थ्य सेवा सम्वर्ग के निम्नांकित चिकित्सा पदाधिकारी

जो सम्प्रति पदस्थापन की प्रतीक्षा में है को स्तंभ-6 में अंकित पद पर अपने ही वेतनमान में तत्कालिक प्रभाव से अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है:-

क्र० सं०	चिकित्सा पदाधिकारी का नाम	गृह जिला	वरीयता	वर्तमान पदनाम	नव पदस्थापित पद एवं स्थान
1	2	3	4	5	6
1	डॉ० अरुण कुमार सिंह	नालंदा	3270	पदस्थापन की प्रतीक्षा में सम्प्रति सदर अस्पताल, जमुई में प्रतिनियुक्त	चिकित्सा पदाधिकारी सदर अस्पताल, जमुई

2. पदस्थापित/स्थानान्तरित चिकित्सा पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि वे पदस्थापित स्थान पर तुरंत योगदान देना सुनिश्चित करें।
3. संबंधित नियंत्री पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि स्थानान्तरित चिकित्सा पदाधिकारी को नवपदस्थापित स्थान के लिए तुरंत विरमित करना सुनिश्चित करें।
4. इस अधिसूचना में अंकित किसी भी चिकित्सा पदाधिकारी के पदस्थापन के संबंध में पूर्व में निर्गत अधिसूचना अवकमित समझी जायेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(सच्चिदानन्द चौधरी)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक: 3/टि0-01-02/2017-

438 (3)

/स्वा0, पटना, दिनांक: 21/6/2018

प्रतिलिपि:

महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/अवर सचिव, सचिवालय मुद्रणालय (प्रशाखा), वित्त विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार पटना/सचिव-सह-कार्यपालक निदेशक राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना/सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें/सभी असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य-चिकित्सा पदाधिकारी/सभी अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:

संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:

सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:

सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:

संबंधित स्थानान्तरित/अधिसूचित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अधिसूचित पदाधिकारी के नाम अथवा उनके पूर्व पदस्थापन में मामूली त्रुटि होने पर भी अधिसूचित पदाधिकारी स्थानान्तरित पद का प्रभार ग्रहण करेंगे एवं त्रुटि में सुधार हेतु प्रस्ताव विभाग को भेजा जायेगा।

प्रतिलिपि:

माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान आप्त सचिव/माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/मुख्यालय में पदस्थापित सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:

सभी प्रशाखा पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:

आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव